

विषय

तर्वांचे प्राथमिकता

संख्या 3992 आर/स:-डु0-5-520/98

प्रेषक,

अतुल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

लेजा में,

समस्त मंडलाधिकार, उ0प्र0 ।

बुलित महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ ।

1 अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 11 सितम्बर, 1998

विषय : आहुद अधिनियम, 1959 एवं आहुद निवमावली, 1962 के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले लाइसेन्स को भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत दस्तावेज मानते हुये ऐसे नये लाइसेन्सों एवं उनके नवीनीकरण पर स्टाम्प इबुटी लगाया जाना ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय द्वारा भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997 पर दिनांक 15-7-98 को अनुमति प्रदान कर दी गई है तथा तम्बह प्यारोपरान्त राज्यपाल महोदय द्वारा इसे उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-23 तब 1998 के तब में 27-7-98 के अन्तर्गत मजद में प्रकाशित कराया जा चुका है जिसे कर एवं संसद्गत वित्त अनुभाग-5 द्वारा दिनांक 15-9-98 से लागू कराया जाना प्रस्तावित है । उक्त भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997 के तम्बन्ध में निर्गत मजद दिनांक 27-7-98 के प्रस्ताव-2 के अनुसार भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-बी के संशोधित अनुच्छेद 381क के अनुसार आहुद या गोला बारद से संबंधित अनुमति या अनुमति के नवीनीकरण को ताद्वित करने वाले दस्तावेज पर निम्नवर्त स्टाम्प इबुटी प्रभावं होनी :-

1क। निम्नलिखित आहुदों से संबंधित अनुमति :-

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 11। रिवाल्वर या बिस्टल | दो हजार रुपये |
| 12। राईफल | एक हजार बांच ती रुपये |
| 13। डी0बी0बी0सल0।आहुद। | एक हजार रुपये |
| 14। सल0बी0बी0सल0।आहुद। | एक हजार रुपये |
| 15। स्म0सल0।आहुद। | दो ती रुपये |

1ड। निम्नलिखित आहुदों से संबंधित अनुमति का नवीनीकरण :-

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 11। रिवाल्वर या बिस्टल | एक हजार रुपये |
| 12। राईफल | सात ती बचात रुपये |
| 13। डी0बी0बी0सल0।आहुद। | बांच ती रुपये |
| 14। सल0बी0बी0सल0।आहुद। | बांच ती रुपये |
| 15। स्म0सल0।आहुद। | एक ती रुपये |

1. ग। आहुद निष्कास्की, 1962 की अनुसूची-111 में वर्णित निम्नलिखित प्रश्नों पर आहुद/गोला बारद से संबंधित अनुबाप्ति :-

111 प्रारब-11	दत्त हजार रुपये
121 प्रारब-12	दत्त हजार रुपये
131 प्रारब-13	बाघ हजार रुपये
141 प्रारब-14	तीन हजार रुपये

1. घ। आहुद निष्कास्की, 1962 की अनुसूची-111 में वर्णित निम्नलिखित प्रश्नों पर आहुद/गोला बारद से संबंधित अनुबाप्ति का नवीनीकरण :-

111 प्रारब-11	तीन हजार रुपये
121 प्रारब-12	तीन हजार रुपये
131 प्रारब-13	दो हजार रुपये
141 प्रारब-14	एक हजार रुपये

2- इस संबंध में आवश्यक निर्देश कर सर्व संस्थागत विपत्त अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शीघ्र ही जारी किये जा रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में जिला मैजिस्ट्रेटों को यह निर्देशित करने का कूट करें कि कर सर्व संस्थागत विपत्त अनुभाग-5 से उक्त निर्देश प्राप्त होने पर उनका अनुपालन तत्काल सुनिश्चित करें।

भय्याब,



1. अनुल कुमार ।

संबुद्ध सचिव ।